न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 124/2020 जिला–सीकर।

पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल गोयल।

कमल सिंह पुत्र श्री जीवा सिंह उर्फ जागीराम जाति जाट निवासी शाहपुरा रोड, कांवट, तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट्

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0।

रेस्पोडेंट

2. नारायण सैनी पुत्र पोखरमल सैनी जाति माली निवासी कावंट, तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज0)

प्रोफार्मा/रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 12.10.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 29/2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अरविन्द पारीक।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.10.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल..आर. एक्ट कमल सिंह बनाम भूमिधारी में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र खारीज किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 को निरस्त फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर के स्थित पुराने खसरा नम्बर 1108 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा गैरमुमकिन सडक की खातेदारी पीडब्ल्यूडी सडक के नाम दर्ज थी जो 1960 से पूर्व से मौजूद है एवं 1980 में सेटलमेंट आपरेशन के दौरान उक्त खसरा नम्बर 1108 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा को राजस्व अधिकारियोया ने त्रुटिवश नवीन खसरा नम्बर 3494 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा के स्थान पर 2.80 है0 दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.4.2019 की आड में पारित किया गया है। जबकि अपीलांट का खसरा नम्बर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रीट याचिका में सम्मलित ही नही हैं ओ ना ही अतिक्रमण है। पुराने खसरा नम्बर 1108 रकबा 8 बीा 13 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियो द्वारा नये खसरा नम्बर 3434 रकबा 2.80 है0 दर्ज किये जाने एवं नक्शा ट्रेस में भी इसी तरह गलत इन्द्राज किये जाने एवं खसरा नम्बर 3505 के दक्षिणी तरफ से लेकर खसरा नम्बर 2845 के दक्षिणी तरफ तक रासता दर्शित किये जाने के कारण अपीलांट का आवासीय परिसर और दुकाने अतिक्रमण में सम्मिलित किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखने का भी कष्ट नही किया केवल मात्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश अतिक्रमयिो को हटाने के लिये किये गये है। अपीलांट ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 16.12.2015 के द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

खरीद कर अपना आवास एवं दुकानात का पुर्ननिर्माण किया जाकर काबिज है ना की अतिक्रमी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय धारा 136 एल आर एक्ट के प्रावधानो एवं उन पर प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रतिकुल देने में भूल की है। पर सही रूप से विचार न कर निर्णय देने में भूल की है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय 12.10.2020 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन कियो गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 3494 वाकै ग्राम कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर से संबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के समक्ष अपीलांट् के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कावंट तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर नया 3494 रकबा 2.80 है गैरमुमकिन सडक जिसके पुराने खसरा नम्बर 1108 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा गै0 मु0 सडक है तथा भूमि खसरा नम्बर 2868 रकबा 0.48 है0 गै0 मु0 सडक है जिसका पुराना खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.07 है0 गै0 मु. सडक है। भूमि खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.87 है0 गै0मु0 सडक जिसके पुराने खसरा नम्बर 1379, 1384, 1386, 1380, 1367 है। उक्त आबादी क्षैत्र में प्रार्थी संख्या 1 ने रजिस्र्ड विक्रय लेख दिनांक 11.03.2008 को विजय कुमार अग्रवाल पुत्र राधेश्याम एवं श्रीमति अंगूरीदेवी पत्नि राधेश्याम, अजयकुमार अग्रवाल पुत्र राधेश्याम अग्रवाल निवासी 14 ए बेलीरोड न्यू कटरा जिला इलाहाबाद यू.पी. से हिस्सा 3/10 खरीद किया था जो वाणिज्यक उपयोग में आ रहा है तथा प्रार्थी संख्या 02 ने रामस्वरूप सिंधी पुत्र लूणकरण तहाजन निवासी कांवट से पुख्ता दुकान जिसका क्षैत्रफल 26.73 वर्गमीटर तथा प्रार्थी संख्या 3 ने एक भूखण्ड जरिये विक्रय लेख सम्पदा दुकानात, आवासीय परीसर खरीद कर मौके पर काबिज व आवाद होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। ग्राम कावंट तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर नया 3494 रकबा 2.80 है गैर मुमकिन सडक जिसके पुराने खसरा नम्बर 1108 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा गै0 मु0 सडक है तथा भूमि खसरा नम्बर 2868 रकबा 0.48 है0 गै0 मु0 सडक है जिसका पुराना खसरा नम्बर 1368 रकबा 0.07 है0 गै0 मु. सडक है। भूमि खसरा नम्बर 2921 रकबा 0.87 है0 गै0मु0 सडक जिसके पुराने खसरा नम्बर 1379, 1384, 1386, 1380, 1367 का रकबा बढाते हुये राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत दर्ज कर दिया गया तथा राजस्व नक्शा ट्रेस को भी गलत रूप से भूमि का रकबा बढाकर दर्शित कर दिया गया जिसके अनुसार ही नवीन खसरा नम्बर 3494, 2868, 2921 का रकबा दर्ज होना चाहिये था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती से उक्त नवीन खसरा नम्बर 3464, 2868, 2921 का रकबा गलत रूप से राजस्व नक्शा ट्रेश दर्शित कर दिया गया है तथा जो नवीन नक्शा ट्रेश में रास्ता खसरा नम्बर 3505 के दक्षिणी तरफ से लेकर खसरा नम्बर 2845 के दक्षिणी तरफ तक दर्शित किया गया है। उसका कोई खसरा नम्बर तक राजस्व कर्मचारियो द्वारा दर्ज नही किया गया है। अतः वर्तमान नवीन भूमि खसरा नम्बर 3494, 2868, 2921 का रकबा पुराने खसरा नम्बर 1108, 1368, 1379, 1384 के अनुसार दुरूस्त करवाया जाकर उसी अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेश को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। अपीलांट् के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के द्वारा तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खण्डेला ने अपने पत्रांक भू0अ0/17/4032 दिनांक 30.112017 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया की पुराने खसरा नम्बर 1108 प्रथम मिसल से ही मकजूवा इन्जनियरी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी किस्त गै0 मु0 सडक है। पुराने खसरा नम्बर 1368 व 1379 जमाबंदी सम्वत 2033–36 में ग्राम पंचायत कांवट रास्ते के नाम दर्ज थे जो दौरान सेटलमेंट पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज हुये है। पुराने खसरा नम्बर 1367 जमाबंदी सम्वत 2033–36 में गै0मु0 आबादी के नाम दर्ज था जो दौराने सेटलमेंट पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

हुए है। पुराने खसरा नम्बर 1380 मि0, 1384 मि0, 1386 मि0, जमाबंदी सम्वत 2033–36 में खातेदारी में दर्ज थे जो दौराने सेटलमेंट पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज हुये है। तहसीलदार खण्डेला की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित करते हुये अपने निर्णय में अंकित किया गया कि "हस्तगत प्रकरण में अनुतोषित खसरा नम्बरान में प्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14955/2017 श्रीमति मीना सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 23.4.2019 में अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पारित किये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के Execution को विलम्बित/रोकने की गरज से दिनांक 22.8.2019 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण अनुतोषित खसरा नम्बरान पर मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होते हुये हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरूस्ती बाबत अनुतोष चाहते है, जिसके समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा कोई सारवान एवं समाधानप्रद साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा उक्त वर्णित डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14955/2017 में पारित निर्णय दिनांकित 23.4.2019 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि the issue of encroachments it an epidemic. There is no startinh or ending points in respect of encroachments. अंकित करते हुये प्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने के आदेश दिये गये। "

8. हम समझते है कि खसरा नम्बर 1108 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा को राजस्व अधिकारियो ने त्रुटिवश नवीन खसरा नम्बर 3494 रकबा 2.80 है0 कि किस्त भी गैर मुमकिन सडक दर्ज रिकार्ड हैं। राजकीय भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते हैं। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14955/2017 श्रीमति मीना सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 23.4.2019 में अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पारित किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को विलम्बित करने/रोकने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट्) अनुतोषित खसरा नम्बरान पर मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होते हुये हस्तगत अपील के माध्यम से दुरूस्ती बाबत अनुतोष चाहते है। दौराने सुनवाई भी अपीलांट् द्वारा दुरूस्ती के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा कोई सारवान एवं समाधानप्रद साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन से यह प्रतित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 पारित किया है। हम अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अंपील अपीलान्ट् सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

17/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner